न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 32/2019 दायर दिनांक 05.11.2019

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. हनुमान पुत्र मदनलाल जाति नाई निवासी हरमाड़ा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज0 ......वादी

बनाम

1. केली देवी पत्नि स्व0 नाथू जाति गुर्जर
2. इन्द्रा पुत्री स्व0 नाथू जाति गुर्जर
3. किशनलाल पुत्र स्व0 नाथू जाति गुर्जर
4. गोगा पुत्री स्व0 नाथू जाति गुर्जर
5. प्रेम पुत्री स्व0 नाथू जाति गुर्जर
6. लक्ष्मण पुत्र स्व0 नाथू जाति गुर्जर
7. लाडा पुत्री स्व0 नाथू जाति गुर्जर
8. श्रवण पुत्र हाबुडा जाति गुर्जर
9. हजारी पुत्र हाबुडा जाति गुर्जर
   सर्वनिवासीगण ग्राम हरमाड़ा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राज0
10. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा हरमाड़ा
11. सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर राज0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0अधि0 1955

निर्णय दिनांक 28.3.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ग्राम हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ स्थित कृषि भूमि ख0न0 941 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा में से 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 21.5.1974 को बिंरदा पुत्र मोड़ू, नाथू पुत्र हावुडा, अल्पायु श्रवण व हजारी पुत्रगण हाबुडा द्वारा वलिया कुदरती माता श्रीमती पांची देवी पत्नि हावुड़ा सर्वजाति गुर्जर निवासी हरमाडा से खरीद किया था। जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय किशनगढ़ में दिनांक 27.5.1974 को किया गया। वादी ने उक्त कृषि भूमि को ख0न0 945 में आने–जाने हेतु रास्ते के उपयोग उपभोग के लिये खरीद की [illegible] करने के पश्चात उक्त भूमि को रास्ते की भूमि को झिंकरे व मुड डलवाकर उसका रास्ते के [illegible] उपयोग, उपभोग करता आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि को खरीद करने के पश्चात [illegible] द्वारा तहसीलदार [illegible] समक्ष नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार किशनगढ़ [illegible] हरमाड़ा में दिनांक [illegible]1974 के अनुसार ख0न0 941 रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी का हनुमान पुत्र मदन कौम नाई के नाम [illegible] होने के आदेश किये थे, जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमावन्दी संवत् 2024 से 2027 में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:04:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

...लदार महोदय के उक्त आदेश के पश्चात भी वादी के नाम न तो राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया ...र न ही नक्शे में रास्ते की तरमीम की गई। इसके पश्चात वादी द्वारा तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष ...क प्रार्थना पत्र दिनांक 13.3.2019 को ग्राम हरमाड़ा के ख0न0 941 रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का वादी के नाम नामान्तरकरण खोलने व नक्शे में रास्ते की तरमीम किये जाने बाबत् दिया गया, जिस पर तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा एक पत्र कमांक/भू0अ0/2019/2714 दिनांक 22.7.2019 को जारी कर वादी को जानकारी दी कि श्रवण व हजारी पुत्रगण हाबुडा का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा हरमाड़ा के रहन दर्ज है। इस प्रकार वर्तमान रिकार्ड में दर्ज खातेदारों एवं रजिस्टर्ड विकयपत्र में दर्ज विकेतागण के नाम का मिलान नहीं हो रहा है। अतः आप द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद दायर नामान्तरकरण दर्ज कराने का आदेश पारित कराने पर माननीय न्यायालय के ओदश से ही नामान्तरकरण की कार्यवाही की जायेगी। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा एक पत्र कमांक/भू0अ0/2019/2714 दिनांक 22.7.2019 से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1, 8 व 9 द्वारा दिनांक 22.11.2019 को वाद स्वीकार करने बाबत् सहमति/अनापत्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया। वकील वादी की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1, 8, 9 द्वारा वाद स्वीकार करने बाबत् सहमति/अनापत्ति प्रार्थना पत्र पेश करने एवं वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा कय होने से वादी का वाद स्वीकार जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार जाकर ग्राम हरमाड़ा के ख0न0 941 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा (1.2539 है0) में से 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:04:57 IST
Reason: SelfAttested